क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

272
मार्च
2002

बैंकिंग

मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण

रिज़र्व बैंक ने मूलभूत सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण, अंतर-संस्थागत गारंटी और सामूहिक ऋण सीमा विषयक मानदंडों के संबंध में अनुदेशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

क्षेत्र

मूलभूत सुविधा के अंतर्गत वे क्षेत्र शामिल होंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जायें । इनमें विद्युत, सड़कें, राजमार्ग, पुल, बन्दरगाह, हवाई अड्डे, रेल प्रणाली, जल आपूर्ति, सिंचाई, स्वास्थ्य रक्षा और सिवरेज प्रणाली, दूरसंचार, आवास, औद्योगिक पार्क या इसी प्रकार की अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल मानी जाएँगी।

वित्तपोषण के लिए मानदंड

बैंक/वित्तीय संस्थाएँ सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा शुरू की गई तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद और बैंकों को स्वीकार्य परियोजनाओं को कुछेक शर्तों के अधीन मीयादी ऋण मंजूर करने के लिए स्वतंत्र हैं। शर्तें निम्नानुसार हैं:

(i) मंजूर की गई राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए विवेकेपूर्ण मानदंडों की समग्र सीमा के अन्दर होनी चाहिए।

(ii) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इस बात से संतुष्ट हो लेना चाहिए कि वे जिन परियोजनाओं को वित्तीय सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उनके पास इतनी आय प्राप्त करने की क्षमता है जो ऋण तथा उस पर देय ब्याज की चुकौती करने के लिए पर्याप्त हो। उन्हें इस बात से भी संतुष्ट हो लेना चाहिए कि वित्तपोषित परियोजना वाणिज्यिक आधार पर, अर्थात अभिज्ञेय क्रियाकलापों तथा नकदी की उपलब्धता जैसी वाणिज्यिक बातों पर विचार करके, चलायी जाती है तथा ऐसी परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध करने के कारण वे नकदी संबंधी असंतुलन की स्थिति के शिकार न हो जाएँ।

(iii) बैंकों को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संस्थाओं से विचार-विमर्श करके प्रत्येक परियोजना के लिए उपयुक्त ऋण-इक्विटी अनुपात निश्चित कर लें।

(iv) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी देयताओं की परिपक्वता अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, ऋणों की अवधि निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(v) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास, खासकर परियोजनाओं के जोखिम-विश्लेषण और संवेदनशीलता-विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए, परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक लाभप्रदता तथा स्वीकार्यता के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता होनी चाहिये।

(vi) सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में, जहां वित्तपोषण मीयादी ऋण के रूप में या सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जारी बांडों में निवेश के रूप में होता है, वहाँ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसी परियोजनाओं की लाभप्रदता तथा बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाने के लिए उनकी पात्रता के मामले में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग और वित्तपोषित परियोजनाओं की ऋण संबंधी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना के वित्तपोषण के प्रत्येक घटक तथा परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों को विधिवत निश्चित कर दिया गया है तथा उनका आकलन कर लिया गया है। ऋण देने/निवेश करने संबंधी निर्णय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के वाणिज्यिक विवेक पर ही आधारित होने चाहिए। उपयुक्त ऋण-मूल्यांकन तथा वित्तपोषित परियोजनाओं की विधिवत मॉनीटरिंग के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए तथा बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठोस आधार पर लाभप्रद समझी जाने वाली परियोजनाओं के लिए ही वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की गारंटी को सन्तोषजनक ऋण मूल्यांकन का स्थानापन्न नहीं माना जाना चाहिए तथा ऐसे मूल्यांकन से संबंधित अपेक्षाओं में केवल इस कारण से ढिलाई नहीं दी जानी चाहिए कि ऋणों/बांडों की चुकौती या उनके आवधिक भुगतान के लिए नियमित स्थायी अनुदेश हैं या इसके लिए रिज़र्व बैंक के साथ कोई समझौता किया गया है।

(vii) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा संपादित की जा रही परियोजनाओं के मामले में, निगमों (उदाहरण के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण	1
निर्यात ऋण पर रियायत	3
मासिक आधार पर ऋणों पर ब्याज लगाना	3
विदेशी मुद्रा नियंत्रण	
अनिवासी जमा योजनाओं की पूर्ण परिवर्तनीयता	3
ईसीबी का पूर्वभुगतान	3
भारत से बाहर भारतीय प्रत्यक्ष निवेश	4
लीज़ आधार पर एयरक्राफ्ट का आयात	4
बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर दिशानिर्देश	4
विदेश में पीठ (चेयर) की स्थापना	4
सहकारी बैंक	
सहकारी बैंकों के न्यूनतम उधार दर कम किये गये	4
विविध	
हस्तक्षेप के लिए यूरो	4
मौद्रिक और ऋण नीति 29 अप्रैल 2002 को	4

सरकारी उपक्रम या संगत कानून के अंतर्गत स्थापित निगम) को ही मीयादी ऋण मंजूर किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे मीयादी ऋण परियोजना के लिए निर्धारित बजटीय संसाधनों के बदले नहीं दिए जा सकते। मीयादी ऋण, बजट संसाधनों के पूरक के रूप में तभी मंजूर किए जा सकते हैं जबकि परियोजना की रूपरेखा में ऐसी व्यवस्था की गयी हो।मूलभूत सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, विशेष प्रयोजन हेतु गठित संस्थाएँ सरकारी क्षेत्र की इकाइयों मैं शामिल मानी जाएँगी लेकिन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन ऋणों/निवेशों का उपयोग राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए न किया जाए। ऐसा वित्तपोषण चाहे ऋण उपलब्ध कराकर या बांडों में निवेश करके किया जाए, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसी परियोजनाओं की लाभप्रदता तथा उनकी ऋण संबंधी पात्रता के मामले में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की चुकौती के लिए उस परियोजना से पर्याप्त राजस्व मिलता रहे और ऋण की चुकौती बजट संसाधनों से न की जाए। इसके अलावा विशेष प्रयोजन हेतु गठित संस्थाओं के वित्तपोषण के मामले में बैंक और वित्तीय संस्थाएँ यह सुनिश्चित करें कि निधि उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव मॉनीटरिंग योग्य विशिष्ट परियोजनाओं के लिए हैं तथा इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही परियोजनाएँ शामिल नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकारों के बजट संबंधी प्रयोजनों वाले उधारों की पूर्ति बैंक और वित्तीय संस्थाएँ राज्य सरकारों के अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रमों के लिए अलग से अंशदान देकर करती हैं।

वित्तपोषण के प्रकार

बैंक मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं की दीर्घावधिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तरीके भी अपना सकते हैं :

(क) गौण ऋण के रूप में उगाही गई निधि से वित्तपोषण, परन्तु ऐसा वित्तपोषण निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया हो ।

(ख) टेक-आउट वित्तपोषण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी/अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता करना या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी/अन्य वित्तीय संस्थाओं से नकद राशि प्राप्त करना।

(ग) आस्ति-देयता संबंधी समस्याओं को नियंत्रित कर सकने की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए रुपया मीयादी ऋणों, आस्थगित भुगतान गारंटियों, विदेशी मुद्रा ऋणों इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तपोषण।

(घ) परियोजना के प्रायोजकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों में निवेश।

अंतर-सांस्थानिक गारंटियाँ

मूलभूत सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं को दिए जाने वाले ऋणों की प्रमुख विशेषताओं और परियोजना की अवधि के अनुरूप अवधि समाप्ति वाले संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को, उधार देने वाली अन्य संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु शर्त यह होगी कि गारंटी जारी करने वाला बैंक परियोजना की लागत का कम-से-कम 5 प्रतिशत भाग निधिक शेयर के रूप में ले तथा, सामान्य ऋण-मूल्यांकन, मॉनीटरिंग व परियोजना की अनुवर्ती कार्रवाई को देखने का काम करे।

मूल्यांकन

परियोजना संबंधी विभिन्न जोखिमों की पहचान करना, परियोजना संबंधी संविदाओं का मूल्यांकन करके जोखिमों को कम करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना, परियोजना के काम में भागीदार विभिन्न संस्थाओं की ऋण पात्रता एवं परियोजना का काम करने के लिए उनके द्वारा की गई विभिन्न संविदाओं के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना मूल्यांकन-प्रक्रिया के अभिन्न अंग होंगे। इस संबंध में बैंक/वित्तीय संस्थाएँ ऋण संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने व परियोजनाओं की प्रगति/उनके कार्यनिष्पादन पर नजर रखने के लिए उपयुक्त अनुवीक्षण समितियों/विशेष कक्षों के गठन पर विचार कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, इन परियोजनाओं को ऋण देने में सहभागी बैंक/वित्तीय संस्थाएँ अपनी ओर से मूल्यांकन के प्रयोजन से, अग्रणी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट देख सकते हैं या उस परियोजना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करा सकते हैं। लेकिन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्यांकन का काम हर हालत में एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा हो जाए तथा अलग-अलग संस्थाएँ एक ही तरह का मूल्यांकन बार-बार न कराएँ ।

वित्त प्रदान किए जाने के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड

मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं को वित्त प्रदान किए जाने की सीमा के संबंध में इस समय जो अनुदेश लागू हैं, वे आगे भी लागू रहेंगे। जहां तक सामूहिक ऋण सीमा का सवाल है, इस समय केवल सड़क, विद्युत, दूरसंचार और बन्दरगाह, इन चार निर्दिष्ट क्षेत्रों की मूलभूत परियोजनाओं के लिए दिया जाने वाला 10 प्रतिशत का अतिरिक्त वित्त सभी मूलभूत सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दिया जा सकता है।

आस्ति-देयता प्रबंध

बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी आस्तियों तथा देयताओं की स्थिति पर भली भाँति निगाह रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के कारण नकदी संबंधी असंतुलन के शिकार न हो जाएँ।

प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण-प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्पष्ट कार्यविधि/प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए और निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अनिर्णीत रह गए आवेदन-पत्रों की समीक्षा के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग शुरू करनी चाहिए। वित्तपोषण के काम में शामिल प्रत्येक संस्था द्वारा एक ही प्रकार का मूल्यांकन बार-बार कराए जाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे विलम्ब होता है तथा प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट किए गए मानदंडों को, बैंकों को, मोटे तौर पर, स्वीकार कर लेना चाहिए। परियोजना के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखने के लिए एक व्यवस्था शुरू करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ऋण का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिस प्रयोजन के लिए वह मंजूर किया गया था।

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रिकता और पता	: अल्पना किल्लावाला, भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रेस संपर्क प्रभाग, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400 001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	: भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रेस संपर्क प्रभाग, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400 001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ह)

अल्पना किल्लावाला

दिनांक : 1 मार्च 2002 प्रकाशक के हस्ताक्षर

निर्यात ऋण पर रियायत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पोतलदानपूर्व और पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वसूल की जानेवाली ब्याज दरों की अधिकतम सीमाओं में कटौती की सुविधा को 30 सितंबर 2002 तक 6 महीने की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

आपको याद होगा कि पिछले वर्ष सितंबर में रिज़र्व बैंक ने निर्यात ऋण पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा में सभी स्तरों पर एक प्रतिशत पॉइंट की कमी करने की घोषणा की थी। यह कमी पोतलदानपूर्व और पोतलदान के पश्चात, दोनों ऋणों पर लागू थी। उस समय यह भी उल्लेख किया गया था कि यह व्यवस्था 31 मार्च 2002 तक वैध रहेगी।

बाद की गतिविधियों पर विचार करते हुए निर्यात ऋणों पर घटी हुई ब्याज दरों की सुविधा और छह महीने के लिए बढ़ा दी गयी है। इस तरह 24 सितंबर 2001 को घोषित निर्यात ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती की वैधता 30 सितंबर 2002 तक लागू रहेगी।

वह अधिकतम दर जो बैंक निर्यातकों से वसूल कर सकते हैं, 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण के लिए और 90 दिन तक के पोतलदान के पश्चात के ऋणों के लिए उनकी अधिकतम उधार दर से 2.5 प्रतिशत पॉइंट कम है।

निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमाएँ

संवर्ग	पहली अप्रैल 2002 से प्रभावी (30 सितम्बर 2002 तक)
पोतलदान-पूर्व ऋण	
(i) 180 दिनों तक	मूल उधार दर से अनधिक - 2.5 प्रतिशत पॉइन्ट
(ii) 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक	मूल उधार दर से अनधिक + 0.5 प्रतिशत पॉइन्ट
पोतलदानोत्तर ऋण	
(क) संक्रमण अवधि के लिए मांग पर बिल (फेडाई द्वारा निर्धारित किये अनुसार)	मूल उधार दर से अनधिक - 2.5 प्रतिशत पॉइन्ट
(ख) मीयादी बिल	
(i) 90 दिनों तक	मूल उधार दर से अनधिक - 2.5 प्रतिशत पॉइन्ट
(ii) पोतलदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक और 6 महीनों तक	मूल उधार दर से अनधिक + 0.5 प्रतिशत पॉइन्ट

नोट: चूंकि ये उच्चतम दरें हैं, बैंक इन दरों से निम्न दरें लगाने के लिए स्वतंत्र हैं।

मासिक आधार पर ऋणों पर ब्याज लगाना

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे पहली अप्रैल 2002 से ऋणों/अग्रिमों पर मासिक आधार पर ब्याज लगायें जो निम्नलिखित शर्तों पर होगा :

(i) मासिक आधार पर ब्याज लगाने की प्रणाली कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होगी। बैंक फसली मौसमों से सहबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने/चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की मौजूदा प्रथा जारी रखेंगे।

(ii) मासिक आधार पर ब्याज लगाना नकदी ऋण (कैश क्रेडिट) और ओवरड्राफ्ट खातों तक ही सीमित रहेगा। मासिक आधार पर ब्याज लगाने के समय बैंक प्रलेखीकरण के प्रयोजन हेतु ऋणकर्ताओं से सहमति पत्र/पूरक करार प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) लंबी/नियत अवधि के ऋणों के मामले में बैंक मासिक आधार पर ब्याज ऐसे खातों की समीक्षा या उनके नवीकरण के समय से लगायेंगे ।

(iv) नये मीयादी ऋणों तथा लंबी/नियत अवधि के अन्य ऋणों के मामले में बैंक ब्याज मासिक आधार पर लगायें ।

आपको याद होगा कि मई 2001 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की ओर बढ़ने और ऋणों की चुकौती में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से वे ऋण-हानि के निर्धारण के लिए 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से 90 दिन का मानदंड अपनायें । एक सुविधाजनक उपाय के रूप में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मासिक आधार पर ब्याज लगाने की ओर बढ़े ।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

अनिवासी जमाओं की पूर्ण परिवर्तनीयता

अनिवासी जमा योजनाओं पर पूर्ण परिवर्तनीयता प्रदान करने तथा मौजूदा अनिवासी जमा योजनाओं का युक्तिकरण करने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि पहली अप्रैल 2002 से अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एनआरएनआर) खाता तथा अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाता योजनाओं को समाप्त कर दिया जाये। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक पहली अप्रैल 2002 से उपर्युक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत न तो कोई नयी जमाराशि स्वीकार करेंगे अथवा न ही नवीकरण के जरिये अथवा अन्यथा कोई नया खाता खोलेंगे। उपर्युक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा खातों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी इन अनुदेशों का पालन करें:

(i) एनआरएनआर खाता योजना के अंतर्गत मौजूदा खाते केवल अवधि समाप्ति की तारीख तक जारी रखे जायें। अवधि समाप्ति पर मिलने वाली राशि खातेदार को नोटिस दिये जाने के बाद खातेदार के अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते (एनआरई) में जमा लिख दी जायेगी। खातेदार को अवधि समाप्ति पर मिलनेवाली राशि एनआरई बचत बैंक खाते में या चालू खाते में या नया एनआरई बचत बैंक खाता खोलकर उसमें जमा करने की अनुमति दी जाए। खातेदार के अनुरोध पर, प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक, खातेदार को अवधि समाप्ति पर मिलनेवाली राशि उसके एनआरओ खाते में जमा करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि खातेदार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो एनआरएनआर खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों की अवधि समाप्ति पर मिलनेवाली राशि खातेदार के एनआरई खाते में जमा कर दी जाए।

(ii) एनआरएसआर खाता योजना के अंतर्गत मौजूदा मीयादी जमाराशियां अवधि समाप्ति तक जारी रखी जायें। अवधि समाप्ति पर मिलने वाली राशि खातेदार के अनिवासी (सामान्य) रुपया खाते (एनआरओ) में जमा लिख दी जायेगी। एनआरएसआर खाता योजना के अंतर्गत अन्य खाते, 30 सितम्बर 2002 के बाद जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी। खातेदार के पास यह विकल्प रहेगा कि वह खाता बंद कर दे अथवा शेष राशि अपने एनआरओ खाते में जमा करवा दे। इस प्रयोजन के लिए खातेदार को नोटिस दिया जाए और यदि कोई उत्तर प्राप्त न हुआ तो एनआरएसआर खाता बंद कर दिया जाए और बकाया राशि खातेदार के एनआरओ खाते में अंतरित की जाए।

यद्यपि खातेदारों को इस समय दी जानेवाली अवधि-पूर्व आहरण की सुविधा जारी रहेगी, दोनों योजनाओं के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों के अवधि-पूर्व बंद किये जाने के मामले में, प्राप्त होनेवाली आय का खातेदार के एनआरओ खाते में ही पुनर्निवेश करने का विकल्प खुला रहेगा।

ईसीबी का पूर्वभुगतान

इस प्रयोजन के लिए कि उधारकर्ता नीची ब्याज दरों का लाभ उठा सकें और अपने बाहरी वाणिज्य उधारों (ईसीबी) का पूर्वभुगतान कर सकें, रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि इस तरह के उधारकर्ताओं को उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों (ईईएफसी) में उनके निर्यात अर्जनों के 100 प्रतिशत तक राशि जमा करने की अनुमति दी जाए। वर्तमान में बाहरी वाणिज्य उधारों के पूर्वभुगतान उधारकर्ता के ईईएफसी खाते में से करने की अनुमति है। अलबत्ता, इन मामलों में ईईएफसी खाते में राशि जमा करने के लिए अनुमोदन रिज़र्व बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मौजूदा विनियमों के तहत:

(क) निर्यातोन्मुख इकाइयों वाले कार्पोरेट अपने विदेशी मुद्रा अर्जनों की 70 प्रतिशत तक राशि अपने ईईएफसी खातों में जमा कर सकते हैं; जब

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2001
29 मार्च तथा 30 मार्च 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

कि अन्य अपने विदेशी मुद्रा अर्जनों की 50 प्रतिशत राशि इन खातों में जमा कर सकते हैं।

(ख) कार्पोरेट उधारकर्ता रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से अपने ईईएफसी खातों की बकाया राशि की सीमा तक बाहरी वाणिज्य उधारों का पूर्व-भुगतान कर सकते हैं।

भारत से बाहर भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति को और उदार बनाने तथा विस्तारित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने भारत से बाहर के संयुक्त उद्यम/समग्र रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश की मौजूदा सीमाएँ एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी हैं।

इसके अलावा, इस तरह के भारतीय निवेशक अब पिछले लेखा-परीक्षित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अपनी कुल मिल्कियत के मौजूदा पच्चीस प्रतिशत की तुलना में पचास प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

लीज़ आधार पर एयरक्राफ्ट का आयात

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे ऑपरेटिंग लीज़ आधार पर एयरक्राफ्ट/एयरक्राफ्ट इंजिन/हेलिकॉप्टर के आयात के लिए लीज़ किराये, ज़मानत की राशि के लिए साख-पत्र खोलने आदि के लिए प्रेषण के लिए अनुमति दें। अलबत्ता, इस तरह के प्रेषण की अनुमति ऐसे दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद ही दी जाये जिनमें यह दर्शाया गया हो कि उपयुक्त प्राधिकरणों, उदाहरण के लिए नागर विमानन मंत्रालय/नागर विमानन महानिदेशक/केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अलबत्ता, वित्तीय लीज़ लेनदेन, अर्थात् लीज़ लेनदेन, जिसमें लीज़ अवधि के समापन पर आस्ति को खरीदने का विकल्प होता है, के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता जारी रहेगी।

बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर समेकित दिशानिर्देश जारी किये हैं। समेकित दिशानिर्देशों में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर भारत सरकार की मौजूदा नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत दिशानिर्देश शामिल हैं।

समेकित दिशानिर्देशों की खास-खास बातें इस प्रकार हैं :

(क) मई 2001 में जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वचालित रूट के अंतर्गत सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 20 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

(ख) 49 प्रतिशत की अधिकतम सीमा ऐसे विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी जिनका भारत में शाखा-तंत्र मौजूद है और जो निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करना चाहते हैं।

(ग) पहले की ही तरह, निजी क्षेत्र के बैंकों में चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत अथवा अधिक के शेयरों के हस्तांतरण के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

(घ) विभिन्न संविधियों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रति शेयरधारक अधिकतम मत अधिकार कुल मत अधिकारों का 10 प्रतिशत होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रति शेयरधारक अधिकतम मत अधिकार (सरकार से बाहर) कुल मत अधिकारों के एक प्रतिशत तक प्रतिबंधित है। जहां तक स्टेट बैंक का प्रश्न है, प्रति शेयरधारक अधिकतम मत अधिकार (रिज़र्व बैंक के अलावा) जारी की गयी पूंजी का 10 प्रतिशत है।

(ङ) यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की नीति अथवा लागू सांविधिक प्रावधानों को देखते हुए विदेशी निवेशकों की कतिपय श्रेणियां स्वचालित मार्ग नहीं अपना सकतीं लेकिन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन के साथ निवेश कर सकती हैं। इन श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऐसे निवेशक जिनका उसी अथवा किसी संबंधित क्षेत्र में वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग है; (ii) निवासियों से अनिवासी को बैंकिंग कंपनी में मौजूदा शेयरों का हस्तांतरण; तथा (iii) ऐसे बैंकों में विदेशी निवेश जिनका बीमा क्षेत्र में संयुक्त तत्वावधान/सहायक कंपनी है।

(च) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और कंपनी अधिनियम की रिपोर्टिंग एवं अन्य अपेक्षाओं के संबंध में पहले से मौजूद दिशानिर्देशों का पालन करें।

विदेश में पीठ (चेयर) की स्थापना

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अच्छे निष्पादन रिकार्ड वाले भारतीय कार्पोरेटों को विदेश में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और अन्य कल्याणकारी उपायों, जिनसे विदेश में समुदाय को लाभ मिलने की संभावना हो, के लिए पीठ की स्थापना के लिए अपनी विदेशी मुद्रा आय में से निधियों के अंशदान की अनुमति दी जाए। ऐसे मामलों पर रिज़र्व बैंक प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर विचार करेगा। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे सभी आवेदनपत्र मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, बाह्य भुगतान प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400 001 को भेजें। आवेदनपत्र के साथ पिछले तीन वर्षों के कार्पोरेट के विदेशी मुद्रा आय के ब्यौरे, कंपनी की गतिविधियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, निर्धारित किये जाने योग्य शैक्षणिक संस्था/कल्याणकारी उपायों के लिए प्रस्तावित पीठ के ब्यौरे और संभावित लाभ संबंधी विवरण भेजे जाएं।

सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों के न्यूनतम उधार दर कम किये गये

रिज़र्व बैंक ने 2 मार्च 2002 से शहरी सहकारी बैंकों के न्यूनतम उधार दर एक प्रतिशत कम अर्थात् 13 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत कर दिये हैं । शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे न्यूनतम 12 प्रतिशत वार्षिक की उधार दर के अधीन अपनी उधार दरें निर्धारित करें।

विविध

हस्तक्षेप के लिए यूरो

रिज़र्व बैंक को अब अमेरिकी डॉलर के अलावा परिचालन/हस्तक्षेप के लिए अतिरिक्त मुद्रा के रूप में यूरो का विकल्प दिया गया है। अत: अब रिज़र्व बैंक इस स्थिति में है कि वह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के आलोक में जब भी आवश्यक समझे, परिचालन प्रयोजनों के लिए यूरो भी खरीद या बेच सकता है। क्रमश: न्यूयॉर्क तथा फ्रैंकफुर्ट में सुपुर्दगी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर और यूरो की बिक्री तथा खरीद के लिए मौजूदा केंद्रों के अलावा दो नये केंद्र, हैदराबाद और नागपुर भी शामिल किये गये हैं।

मौद्रिक और ऋण नीति 29 अप्रैल 2002 को

वर्ष 2002-03 के लिए वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति पर प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रमुख कार्यपालकों के साथ गवर्नर डॉ. विमल जालान 29 अप्रैल 2002 को बैठक करेंगे। यह बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में सुबह 11.00 बजे आयोजित की जायेगी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**